न्यूयॉर्क शहर के मानवाधिकार कानून

मुस्लिमों के लिए सुरक्षा और उन्हें किस प्रकार लिया जाता है, इसके बारे में

10 चीजें, जो आपको पता होनी चाहिए

अनुमानों के अनुसार मुस्लिम के रूप में अपनी पहचान बताने वाले लगभग 10 लाख लोग न्यू यॉर्क सिटी होम को कॉल करते हैं। वे, किसी भी अन्य धर्म को मानने वाले न्यू यॉर्क निवासियों की ही तरह, उस अनोखी और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं, जिसके लिए न्यू यॉर्क को दुनिया भर में जाना जाता है। उन्हें पक्षपात और उत्पीड़न से मुक्त होकर जीने और काम करने का हक है।

1.

न्यू यॉर्क सिटी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स (The New York City Commission on Human Rights) न्यू यॉर्क सिटी के मानवाधिकार कानून को लागू करने के लिए बनाई गई शहरी एजेंसी है, जो 27 श्रेणियों जिसमें धर्म/संप्रदाय शामिल है, में रोजगार, आवास और सार्वजनिक आवास के मामले में होने वाले पक्षपात को रोकने का काम करती है। यह कानून नियम लागू करके बदला लेने, पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न और पक्षपात-आधारित प्रोफ़ाइल बनाने से संबंधित है।

2.

धर्म/संप्रदाय के आधार पर किसी कर्मचारी के विरुद्ध पक्षपात करना गैर-कानूनी है। कानून के उल्लंघन के कुछ उदाहरणों में किसी कर्मचारी के मुस्लिम होने पर उसका मौखिक रूप से उत्पीड़न या उसे डराना-धमकाना, किसी कर्मचारी को उसके धर्म के कारण नियुक्त करने या प्रोन्नति देने से मना करना, धार्मिक वेशभूषा के कारण कोई ऐसी भूमिका असाइन करना, जिसमें ग्राहक से संपर्क न करना पड़ता हो, या कर्मचारी की विशिष्ट आस्था के कारण उससे अलग तरह से व्यवहार करना शामिल है।

3.

कर्मचारियों को ऐसी उपयुक्त सुविधाएँ पाने का अनुरोध करने का अधिकार है जिससे कि वह कार्यस्थल पर कोई धार्मिक रीति पूर्ण कर सकें या धार्मिक वेशभूषा में रह सकें। इसके उदाहरण में दाढ़ी बढ़ाना, पगड़ी पहनना, हिजाब या सिर को ढ़कने वाले स्कार्फ़ पहनना और कुफ़ी पहनना शामिल है।*

4.

कर्मचारियों को धार्मिक छुट्टियों या परंपराओं (जैसे दिन के बीच प्रार्थना करना) की सुविधा पाने का अनुरोध करने का अधिकार है और वे अपने नियोक्ता के साथ मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जैसे सवैतनिक अवकाश, अवैतनिक अवकाश या अवकाश के समय की बाद में किसी दिन क्षतिपूर्ति करना।*

5.

आवास प्रदाताओं के लिए किसी व्यक्ति को उसकी आस्था के कारण या उनके रंगरूप के आधार पर उन्हें किसी विशिष्ट धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति मानकर किराया पर मकान देने से मना करना गैर-कानूनी है।

6.

मकान मालिक और भवन प्रबंधक एक धर्म के किराएदारों को उनकी धार्मिक साज-सज्जा, विशिष्ट पहचान, या प्रतीक को दिखाने को प्रकट करने से उस स्थिति में मना नहीं कर सकते, जब दूसरे धर्म वालों को वह ऐसा करने की अनुमति देते हों (उदाहरण के लिए, प्रमुख छुट्टियाँ, जैसे क्रिसमस और ईस्टर)।

7.

मकानमालिक और निरीक्षक किराएदार के अपार्टमेंट में समाधान या मरम्मत करने से इस वजह से मना नहीं कर सकते कि किराएदार का वास्तविक या तथाकथित धर्म या धार्मिक मान्यता क्या है।

8.

रेस्टोरेंट, व्यवसाय या किसी भी अन्य सार्वजनिक आवास के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक या तथाकथित धर्म या मत के कारण रुकने देने से मना करना गैर-कानूनी है। रेस्टोरेंट मुस्लिम महिला को इसलिए बैठने से मना नहीं कर सकता कि वह हिजाब पहने हुए है। टैक्सी ड्राइवर किसी ग्राहक को उसके धर्म के कारण पिक करने से मना नहीं कर सकता है।

9.

किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक या तथाकथित धर्म के कारण सार्वजनिक स्थानों पर डराना, उत्पीड़ित करना या दबाव डालकर हस्तक्षेप करना गैर-कानूनी है; उदाहरण के लिए, ट्रेन में या मूवी थिएटर में।

10.

किसी व्यक्ति से पक्षपात के विरुद्ध दावा करने का बदला लेना, जिसमें तथाकथित धर्म संरक्षक शामिल हों, गैरकानूनी है।

*किसी नियोक्ता को चाहिए कि वह कर्मचारी के उपयुक्त सुविधा प्रदान करने के अनुरोध को पूरा करे, बशर्ते कि ऐसी सुविधा से नियोक्ता को अनुचित रूप से कठिनाई का सामना न करना पड़े।

NYC कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स (The New York City Commission on Human Rights) सुनिश्चित करता है कि न्यू यॉर्क निवासी हर धर्म के लोगों को पक्षपात की सूचना देने का उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाएगा और वे उस गरिमा और सम्मान को हासिल कर सकेंगे, जिसके वे पात्र हैं। अगर आप मानते हैं कि आप पक्षपात के शिकार हुए हैं तो 311 पर कॉल करें और मानवाधिकार के संबंध में बात करें या सीधे कमीशन इन्फो लाइन पर 212-416-0197 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए, NYC.gov/HumanRights पर जाएँ और Twitter पर @NYCCHR, Facebook, Instagram, और YouTube पर हमें फॉलो करें।.

NYC Commission on Human Rights

@NYCCHR NYC.gov/IAmMuslimNYC